	बैंक ऑफ़ इंडिया प्रधान कार्यालय	मानव संसाधन विभाग औद्योगिक संबंध प्रभाग
शाखा परिपत्र क्र. 108/183		विषय : मानव संसाधन/2014-2015/18
उप-विषय : सामान्य		
संदर्भ : एचओ/एचआर/आईआर/एसडी/15		दिनांक : 08/01/2015

<u>समस्त शाखाओं कार्यालयों के लिए/परिपत्र</u>

स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) हेतु अवार्ड स्टाफ सदस्यों (लिपिकों/अधीनस्थ कर्मचारियों) द्वारा किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ती

हम आपको सहर्ष सूचित करते हैं कि बोर्ड ने दि.11.10.2014 को हुई अपनी बैठक में 45 वर्ष एवं अधिक उम्र के अवार्ड स्टाफ सदस्यों को दो कैलेंडर वर्षों में एक बार स्वास्थ्य जांच (हेल्थ चेकअप) व्ययों की प्रतिपूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने को अनुमोदित किया है। आपके सुलभ संदर्भ हेतु कथित योजना के ब्यौरे और प्रशासनिक दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं:-

ए) **<u>पात्रता</u> :**
सभी स्थायी अवार्ड स्टाफ सदस्य (लिपिक/अधीनस्थ-कर्मचारी) जिनकी उम्र 45 वर्ष एवं अधिक है, वे कथित योजना के तहत दो कैलेंडर वर्षों में एक बार लाभ उठा सकते हैं।

बी) **<u>लाभ</u> :**
पात्र स्टाफ सदस्य अपने तैनाती स्थल पर उनके द्वारा स्वास्थ्य जांच हेतु व्यय की गई वास्तविक राशि तक या <u>₹ 3000/-</u> (मेट्रो केन्द्र) और <u>₹ 2500/-</u> (अन्य केन्द्र), इनमें से जो भी कम हो, की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकते हैं।

सी) **<u>अन्य प्रशासनिक दिशानिर्देश</u> :**

(i) स्टाफ सदस्य को शाखा/विभाग प्रमुख को, जैसा भी मामला हो, लिखित में अपना अनुरोध प्रस्तुत करना चाहिए। स्वास्थ्य जांच कराने हेतु स्टाफ सदस्य को संबंधित आंचलिक कार्यालय/प्रधान कार्यालय या शाखा द्वारा जारी प्राधिकार पत्र, अस्पताल के प्राधिकारियों को प्रस्तुत करना होगा।

(ii) जिन अस्पतालों के साथ बैंक की टाई-अप व्यवस्था है, वहां स्टाफ सदस्य को स्वास्थ्य जांच कराने हेतु तुरंत प्रभारों का भुगतान करने की ज़रूरत नहीं है। अस्तपाल से प्राप्त बिल का भुगतान, बैंक द्वारा संबंधित स्टाफ सदस्य की पात्रता अनुसार किया जाएगा। यदि स्टाफ सदस्य जिस अस्पताल से अपना स्वास्थ्य जांच करवाता है, उस अस्पताल के साथ बैंक की टाई-अप व्यवस्था न हो तो, उसे जांच कराते वक्त अस्पताल/डायग्नोस्टिक केन्द्र में पहले प्रभारों का भुगतान करना होगा फिर अपनी पात्रता के अनुरूप बैंक से प्रतिपूर्ति लेनी होगी।

(iii) स्टाफ सदस्य को, प्रतिपूर्ति का दावा करने हेतु आवेदन (संलग्न नमूने के अनुरूप) के साथ स्वास्थ्य जांच हेतु अस्पताल के प्राधिकारियों/डायग्नोस्टिक केन्द्र को अदा की गई राशि हेतु बिल/रसीदें प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसे आवेदन मंजूरी हेतु शाखा/अंचल/कार्यालय, जैसा भी मामला हो, को प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. औद्योगिक संबंध IND. RELTN. DIVN. H.O. B.K.C. COMPLEX

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA मुंबई MUMBAI O.L. Dept. H.O. राजभाषा विभाग प्र.का.

(iv) व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकृति प्राधिकरण निम्नानुसार होंगे-

(क) शाखा में कार्यरत स्टाफ के लिए - शाखा प्रबंधक

(ख) आंचलिक कार्यालयों/अन्य प्रशासनिक कार्यालयों में कार्यरत स्टाफ के लिए - मुख्य प्रबंधक ग्रेड/वेतनमान-IV एवं अधिक के प्रशासन प्रभारी।

(ग) प्रधान कार्यालय के विभागों में कार्यरत स्टाफ - वरिष्ठ प्रबंधक, वेतन प्रभाग,

मानव संसाधन विभाग, प्रधान कार्यालय।

(घ) स्टाफ सदस्य (महिला कर्मचारी) जिसे सबैटिकल छुट्टी की मंजूरी दी गई है, वह ऐसी छुट्टी की अवधि के दौरान इस योजना के लाभ का दावा करने हेतु पात्र नहीं होंगे।

(v) स्टाफ सदस्य जो अवधि के दौरान अनधिकृत रूप से अनुपस्थित हैं, वे उक्त योजना के तहत प्रतिपूर्ति दावा करने हेतु पात्र नहीं होंगे, जब तक कि उनकी अनुपस्थिति सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमित न की जाए।

(vi) शाखा/अंचल/कार्यालयों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्टाफ सदस्य दो कैलेन्डर वर्षों में एक से अधिक बार इस योजना का लाभ नहीं लेते।

(vii) जो सफाई कर्मचारी 45 वर्ष से कम आयु के हैं, उन्हें सफाई कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य जांच योजना के तहत कवर किया जाना जारी रहेगा, जिसे शाखा परिपत्र सं.106/40 गिनांक 23.05.2012 द्वारा परिचालित किया गया था, जबकि वे सफाई कर्मचारी जो 45 वर्ष की आयु अथवा उससे अधिक हैं, उन्हें अवार्ड स्टाफ के लिए स्वास्थ्य जांच की योजना के अंतर्गत कवर किया जाना चाहिए। इसके बाद वे 'सफाई कर्मचारी के लिए स्वास्थ्य जांच योजना' के तहत लाभ का दावा करने के पात्र नहीं होंगे।

(viii) जो अवार्ड स्टाफ इस योजना के तहत उपरोक्त स्वास्थ्य जांच का विकल्प चुनते है, वे किसी भी ड्यूटी छुट्टी, यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति अथवा किसी भी अन्य प्रासंगिक व्यय की प्रतिपूर्ति, इत्यादि के पात्र नहीं होंगे।

(ix) यह योजना 01.01.2015 से प्रभावी होगी।

02. कृपया सुनिश्चित करें कि योजना सुगमता से लागू हो और पात्र स्टाफ सदस्य इस योजना के तहत लाभ उठा सकें। हम एचआरएमएस प्रणाली के माध्यम से स्वास्थ्य जांच प्रतिपूर्ति लाइव करने की प्रक्रियाधीन हैं और तदनुसार हम अंचल/शाखाओं को सूचित करेंगे। तब तक, इसे मैन्युअली करने हेतु आपको सूचित किया जाता है।

03. कृपया उक्त परिपत्र की विषयवस्तु को आपकी नियंत्रणाधीन शाखाओं/कार्यालयों में कार्यरत सभी अवार्ड स्टाफ सदस्यों के ध्यान पर लाएं।

(चरण सिंह)

महाप्रबंधक - मानव संसाधन

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA मुंबई MUMBAI O.L. Dept. H.O. राजभाषा विभाग

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. औद्योगिक संबंध IND. RELTN. DIVN. H.O. स्टार हाउस K. COMPLEX

	Bank of India Head Office	**Human Resources Department, Industrial Relations Division.**
Branch Circular No. : **108/183**		SUB : **HUMAN RESOURCES / 2014-2015/18**
SUB-SUBJECT : GENERAL		
Ref : HO:HR:IR:SD:15		Date: 08/01/2015

CIRCULAR TO ALL OFFICES / BRANCHES

Reimbursement of expenses incurred by Award Staff members (Clerks / Sub-Staff) for Health Check-up

We are pleased to advise you that the Board in its meeting held on 11.10.2014 has accorded approval for extending the facility of reimbursement of health check-up expenses for Award Staff members who are 45 years of age and above once in two calendar years. The details and administrative guidelines of the said Scheme are given below for your ready reference :-

A) **Eligibility** :
All permanent Award Staff members (Clerks / Sub-Staff) who have completed 45 years of age and above can avail the benefit under the said Scheme once in two calendar years.

B) **Benefits** :
Eligible staff members can claim reimbursement of expenses incurred by them for Health Check-up carried at their respective place of posting upto an actual amount of expenses incurred or **₹.3,000/-** (Metro Centres) and **₹.2,500/-** (Other Centres), whichever is less.

C) **Other Administrative guidelines** :

(i) The staff member should submit a request in writing to the Branch/Head of the Department, as the case may be. The staff is required to submit the authorization letter issued by the concerned Zonal Office / Head Office or Branch as the case may be, to the hospital authority for undergoing health check-up.

(ii) In case of hospitals with which Bank is having tie-up arrangement, the staff member is not required to pay charges immediately for undergoing health check-up. The bills received from the hospital will be settled by the Bank as per the entitlement of the concerned staff member. In case the Bank is not having tie-up arrangement with the hospital where the staff is undergoing health check-up, he / she will have to pay the charges upfront to the hospital / diagnostic centre and seek reimbursement from the Bank as per his / her entitlement.

(iii) Staff member to submit the bills / receipts for the amount paid to the hospital authorities / diagnostic centres for Health Check-up, alongwith application (as per specimen attached) for claiming reimbursement. Such application to be submitted to the Branch / Zones / Offices, as the case may be, for sanction.

बैंक ऑफ इंडिया BANK OF INDIA प्र.का. औद्योगिक संबंध IND. RELTN. DIVN. H.O. COMPLEX

..2/-

(iv) Sanctioning authority for reimbursement of the expenses would be –

(a) for staff working in Branches – Branch Managers;
(b) for staff working in Zonal Offices / other Administrative Offices - Official of Chief Manager Grade / Scale IV and above in charge of Administration;
(c) for staff working in Head Office Departments – Senior Manager, Salary Section, Human Resources Department, Head Office.
(d) Staff member (female employee) who has been sanctioned Sabbatical Leave will not be eligible to claim the benefit of the Scheme during the period of such leave.

(v) Staff members who are unauthorisedly absent during the period from their duties will not be eligible to claim the reimbursement under the said Scheme, unless his/her absence is regularized by the Competent Authority.

(vi) The Branch / Zones / Offices should ensure that the staff member is not availing the benefit of the Scheme more than once in two calendar years.

(vii) The amount claimed / settled under the scheme may be debited to Branch P & L A/c – Medical Aid.

(viii) The Safai Karmacharis who are below 45 years of age will continue to be covered under the Scheme of Health Check – up for Safai Karmacharis which was circulated vide Branch Circular No 106/40 dated 23.05.2012, whereas those Safai Karmacharis who are 45 years of age and above will be covered under the new Scheme of Health Check-up for Award Staff. Hereinafter they will not be entitled to claim the benefit under the Scheme of Health Check-up for Safai Karmacharis.

(ix) The Award Staff members who opts for the above Health Check – up under this scheme will not be entitled for any duty leave, reimbursement of travelling expenses or any other incidental expenses etc.

(x) The scheme will be effective from 01.01.2015.

02. Please ensure that the Scheme is implemented smoothly and eligible staff members can avail the benefit under the Scheme. We are in the process of making Health Check-up reimbursement live through HRMS system and shall advise the Zones / Branch accordingly. Till such time, you are advised to process the same manually.

03. Please bring the contents of the said Circular to the notice of all Award Staff members working in the Branches / Offices under your control.

(Charan Singh)
General Manager (HR)

BANK OF INDIA
IR. RELTN. DIVN.
H.O.
S.K. COMPLEX

d:\kiran\sushee\circular\healthcheckup.awardstaff.doc